FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत .... मुकाम ....

भूरताराम वगैरह .... बनाम .... बाबाराम वगैरह

किस्म मुकदमा .... राजस्व आवेदन 111,128 RLRAct .... नं. 74/19 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/02/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/03/19 को पेश हो।	
27/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील [illegible]। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] शर्मा के व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/05/19 को पेश हो।	167 14/5/19
27/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/06/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

12/06/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। मौका पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/19 को पेश हो।

22/07/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। मौका पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो।

16/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के मेंढ़ विपक्षीगणों के खेत आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मेंढ़ों पर जो पुरानी मेंढ़ व डोल थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मेंढ़ों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा मेंढ़ों पर किसी प्रकार की कच्ची पक्की मार्क या चिन्ह आदि नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती मेंढ़ तोड़ देते हैं। एवम् बर्षात होने पर काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की नैपमवली करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नैपमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर नैपमवली आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैपमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बापू को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नैपमवली मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश जिल्द में लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature] ...0. 2015

सहायक कलक्टर [stamp]

नायब तहसीलदार

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2019/ 700 दिनांक:- 16/10/19

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

भुराराम गौद पुत्र रामाराम जाति सूथार वगैरा2
निवासी किशने का तला, बाटाडु
तहसील बायतु जिला बाडमेर

बागाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट वगैरा 9
निवासी किशने का तला, बाटाडु
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 74/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा किशने का तला पटवार हल्का बाटाडु तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1915 रकबा 28.08 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 701-705 दिनांक:- 16/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भुराराम गौद पुत्र रामाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण बागाराम पुत्र पूर्णाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

रूप से चला आ रहा है। नकल जमांबदी व नक्शा साथ पेश है।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:33:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: